The Chitransh Academic & Research
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 5 | December 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

डॉ. भीमराव अंबेडकर के चिंतन में महिला संचेतना

डॉ. ज्ञान प्रकाश पटेल
चेयर शोध अध्येता, बिरसा मुंडा चेयर, इं. गाँ. रा. ज. वि., अमरकंटक, मध्य प्रदेश
डॉ. संजय यादव
सहायक प्राध्यापक, जनजातीय अध्ययन, कला, संस्कृति एवं लोक साहित्य विभाग, इं. गाँ. रा. ज. वि., अमरकंटक, मध्य प्रदेश

लेख विवरण

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 12/11/2025

स्वीकृति तिथि: 20/12/2025

प्रकाशनतिथि: 31/12/2025

मुख्य शब्द: बाबा साहब, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, स्वतंत्रता, समानता

सारांश

भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार,प्रसिद्ध न्यायविद, समाज सुधारक डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर को एक साहसी नेता तथा सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है। वह भारत के दलित, वंचित तथा आधी आबादी (महिलाओं) के लिए आशा की किरण थे। बाबा साहब की भूमिका भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा नागरिक रूपरेखा को आकर देने के साथ विशेष रूप से महिलाओ की उन्नति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने गरीब, अशिक्षित महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न की और उन्हें बाल विवाह और अन्यायपूर्ण सामाजिक परंपराओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रूढ़िवादी हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के महत्व को पहचाना और भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब का सामाजिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में निहित है। उनके सिद्धांतों ने एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के लिए उनके दृष्टिकोण की आधारशिला बनाई, जहां महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार माना जाता है।किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास संपूर्ण आबादी की सामंजस्य पूर्ण विकास में निहित होती है आधी आबादी की अवहेलना कर संपूर्ण विकास का दवा नहीं किया जा सकता। भारत में महिला उत्थान को लेकर अनेक समाज सुधारक कार्यरत थे, जिसमें राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हैं, इनके समाज सुधार आंदोलनो से नारी उत्थान तथा परंपरागत रूढ़ियों में अनेकानेक सुधार हुए, परंतु इस दिशा में एक संवैधानिक प्रयास करने का श्रेय डॉ. अंबेडकर को है। अंबेडकर ने नारी उत्थान की दिशा में जो वकालत किया वह आज भी अनुकरणीय है। प्रस्तुत लेख में द्वितीयक श्रोतो कोआधार बनाते हुए अंबेडकर के नारी चिंतन संबंधी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है

प्रस्तावना

"मैं समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रगति के स्तर द्वारा मापता हूँ।"

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर

वैश्विक फलक पर महिला अधिकारों के लिए अनेको आंदोलन हुए हैं। सर्वप्रथम 19वी सदी के मध्य में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड में महिला मताधिकार के लिए आंदोलन शुरू हुआ। जिसका परिणाम यह हुआ कि न्यूजीलैंड 1893 में महिला मताधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला माताधिकार 1920 में 19वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका मेंमहिला माताधिकार के लिए 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन के साथ शुरू हुआ। यह आंदोलन महिलाओ के सामाजिक सुधार जैसे- शिक्षा में सुधार, व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि, और सामाजिक न्याय, और कानूनी अधिकार जैसे- संपत्ति अधिकार, तलाक, और हिरासत कानून में महिलाओं के लिए सुधार के रूप में कर दुनिया भर में पहुंच गया। भारत में महिलाओ की स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन पुरुषो द्वारा शुरू किये गए जिसे सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महात्मा ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे नेताओं ने महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई। वे महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए लड़ते रहे। डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा महिलाओ के लिए आजादी के पूर्व तथा आजादी के बाद अनेको ऐतिहासिक कार्य किये गए जिसमें शिक्षा के प्रोत्साहन, समानता की लड़ाई, महिलाओं के समाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए किये गए संघर्ष शामिल है। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकारों के लिए बहुत परिश्रम किया। बाबा साहब नेहिंदू शास्त्रों और स्मृतियों को ध्यान से पढ़ा ताकि वह भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को समझ सकें। उन्होंने 1920 में महिलाओ के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया और 1920 और 1927 मेंमूक नायक और बहिष्कृत भारत जर्नल के माध्यम से हिंदू सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध बोलना शुरू किया। बाबा साहब के अधिकत्तर विषय महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं और अन्य कम आय वाले लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में होते थे। उनका मानना था किभारतीय समाज में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार और समान अवसर होने चाहिए।

संक्षिप्त जीवन परिचय

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक दलित मराठी परिवार में हुआ था। बाबा साहब एक दलित परिवार से आते थे, इनका प्रारंभिक जीवन आर्थिक और सामाजिक रूप से कठिनाइयों भरा था,एक गरीब दलित परिवार में जन्म होने के कारण बाबा साहब को कम उम्र से ही समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। इसके पश्चात एल्फिंस्टन हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक पास किया। इसके बाद, उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अंबेडकर के शैक्षिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का प्रस्ताव मिला। इस स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और वहां उन्होंने अपनी पीएच-डी भी पूरी की। उनका शोध कार्य भारतीय आर्थिक इतिहास और अर्थशास्त्र पर केंद्रित था। इसके बाद, वे लंदन गए जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया और ग्रे'ज़ इन (एक प्रतिष्ठित वकालत कॉलेज) में कानून की पढ़ाई की। डॉ. अंबेडकर की शैक्षिक यात्रा ने उन्हें न केवल एक विद्वान बनाया बल्कि एक ऐसे चिंतक के रूप में स्थापित किया, जिनके विचार और दर्शन ने आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित किया ।

जातिगत भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित कर दिया। उनकी लड़ाई सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी; उन्होंने समाज में व्याप्त जड़ता और असमानता के विरुद्ध भी मुखर रूप से आवाज उठाई। इसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलें और आंदोलन किये। जैसे- 1927 में बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह करके महाड़ में चवदार तालाब के पानी का उपयोग करने के लिए दलितों के अधिकार के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन दलितों के लिए पानी के उपयोग के अधिकार को लेकर था, जिसे तत्कालीन समाज में उनसे वंचित किया गया था। अंबेडकर ने दलितों के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया और उनके लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने दलितों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। उन्होंने भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में यहसुनिश्चित किया कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श शामिल किए जाएँ। उन्होंने अस्पृश्यता के

उन्मूलन, महिलाओं के अधिकारों और श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किए। इस प्रकार अम्बेडकर ने अपना जीवन जाति व्यवस्था के अन्याय से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों के लिए समान अधिकारों की वकालत की और सामाजिक बाधाओं और भेदभाव को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया।

महिलाओं के लिए अंबेडकर के प्रमुख योगदान

बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर अधिकार दिलाने की पहल की।उनका मानना था कि समाज में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने से समाज की प्रगति का पता चलता है और महिलाओं का समुचित विकास होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराई और उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने पर जोर दिया। उनके योगदानों ने महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्यो में शिक्षा, कानूनी अधिकार, और सामाजिक समानता शामिल थी।

शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

भीमराव आंबेडकर का भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा के मामले मेंमहत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई अपितु उन्हें उच्च शिक्षा के अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। वे महिलाओं के लिए शिक्षा की उपलब्धता में सुधार के समर्थक थे। उन्होंने सरकार को महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए उचित संसाधनों पर ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए कानूनी बदलाव की मांग की, तथा शिक्षा में समानता की मांग के साथ महिलाओं के शिक्षा के अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। एक बार अंग्रेज़ी शासन द्वारा शिक्षा का बजट कम किया गया तो आम्बेडकर 1928 में मुंबई विधानसभा में कहते हैं "शिक्षा लाभ हानि का विषय नहीं है. शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को गढ़ा जाता है, जिससे एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण होता है।" अम्बेडकर ने नारी शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया। इसीलिए 1913 में न्यूयार्क मे एक भाषण देते उन्होंने कहा "माँ-बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चो के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे सम्मान की उन्नति तीव्र होगी। उन्होंने

अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन (1942) में कहा कि महिलाओं और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। उन्हें महत्वाकांक्षी बनाइए। उनके दिमाग में यह बात डालिए कि महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। बाबा साहेब बहुधा यह कहते थे कि-"जब आप लड़कियों को शिक्षा देते हैं, तो आप आत्मसम्मान के दीपक जलाते हैं। अगर वंचित समुदाय समाज में प्रगति करना चाहते हैं और सामाजिक उन्नति के साथ समानता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारी प्रगति के रथ के दूसरे पहिये को, जो हमारी महिलाओं की उन्नति का होता है, पुरुषों के समान बनाना होगा और उन्हें शिक्षा का लाभ देना होगा। तभी हमारा लक्षित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।"

कामकाजी महिलाओं के लिए अवकाश

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लैंगिक-न्याय सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के हर संभव प्रयास किये। बॉम्बे विधान परिषद के एक सदस्य के रूप में 1928 में अम्बेडकर ने फैक्टरियों में काम करने वाली महिलाओं को भुगतानित मातृत्व छुट्टी देने वाले बिल का समर्थन किया तथा प्रसव के समय महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। उनका विचार था कि नियोक्ता महिलाओं के परिश्रम के माध्यम से लाभ कमा रहा था इसलिए महिलाओं को मातृत्व अवकाश के समय उसे आंशिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उनके शब्दों में, "यह राष्ट्र के हित में है कि माँ को प्रसव पूर्व अवधि के दौरान और उसके बाद भी एक निश्चित मात्रा में आराम मिलना चाहिए।" यहाँ महिलाओं के प्रजनन कार्य के सामाजिक पहलू की एक अंतर्निहित मान्यता है। बॉम्बे की विधान सभा में ही 1938 में बाबा साहब ने सिफारिश की कि महिलाओं के लिए जन्म नियंत्रण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। उनका तर्क था कि जब कोई महिला किसी भी कारण से बच्चे को जन्म देने के इच्छुक नहीं होती है, तो उसे गर्भधारण को रोकने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने आगे महसूस किया कि गर्भधारण पूरी तरह से एक महिला का चुनाव होना चाहिए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए प्रजनन विकल्प, प्रजनन नियंत्रण, प्रजनन अधिकार और प्रजनन स्वतंत्रता की वकालत कर रहे थे। 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनेफिट बिल डॉ. अंबेडकर द्वारा ही लाया गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1942 से 1946 के बीच, वायसराय की कार्यकारी समिति में एक श्रम सदस्य के रूप में महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य स्थितियों से संबंधित कई प्रगतिशील विधान पारित किए। इनमें आकस्मिक छुट्टी, विशेषाधिकार छुट्टी, अर्जित छुट्टी, चोट के मामले में मुआवजा और पेंशन शामिल थे। इसके बाद 1948 के Employees' State Insurance Act

पारित किया गया जिसमें कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई।

नारी सुरक्षा के संवैधानिक उपबंध

आजादी के समय अम्बेडकरने कहा की "मैं समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रगति के स्तर द्वारा मापता हूँ।" बाबा साहब का मानना था की यदि भारतीय समाज में नारी का सम्मान होगा तभी भारतीय समाज अपने आप को उनत्ति के रास्ते पर ले जा सकता है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो भारत के नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की गारंटी देता है। अतः भारतीय संविधान में महिलाओ सुरक्षा को लेकर निम्न प्रावधान किया गया है

- अनुच्छेद 14 यह सभी के लिए कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 15 यह धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव पर रोक लगाता है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान करने का भी प्रावधान है।
- अनुच्छेद 16 यह सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- अनुच्छेद 19 महिलाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने, धर्म और आचरण का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।
- अनुच्छेद 21 इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शांति, और विश्राम का हक शामिल है, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
- अनुच्छेद 24 यह मानव व्यपार को निषिद्ध करता है। वर्तमान समय में महिलाओ के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता देखी जा सकती है।
- अनुच्छेद 30 इस अनुच्छेद में, संविधान महिलाओं को नैतिकता और शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है, जो समाज में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं।
- अनुच्छेद 38 यह अनुच्छेद समाज के सभी वर्गों के समान अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, जिसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

- मातृत्व लाभ अनुच्छेद 42 इसमें मातृत्व लाभ के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को मातृत्व संबंधी सेवाओं और सुरक्षा प्राप्त हो सके।
- अनुच्छेद 43): इसमें महिलाओं को रोजगार के प्राप्ति, संरक्षण और समान वेतन के लिए प्रावधान किया गया है।
- शिक्षाअनुच्छेद 45 इसमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान हैं, जिसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है।
- अनुच्छेद 46 इस अनुच्छेद में, स्थानीय स्वशासन के अधिकारों के बारे में व्यापक विवरण दिया गया है, जिसमें महिलाओं को समानता के अधिकारों का लाभ प्राप्त करने की गारंटी दी गई है।
- अनुच्छेद 47 (संघीय संरचना की प्रारंभिक प्राधिकारिक विधि) इस अनुच्छेद में, संघीय संरचना की आरंभिक प्राधिकारिक विधि के बारे में बताया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समानता के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर किया जाता है।
- अनुच्छेद 51A इस अनुच्छेद में, संविधानिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्र को महिलाओं के संरक्षण और समर्थन की जिम्मेदारी दी गई है।
- अनुच्छेद 243 (स्थानीय स्वशासन की प्राधिकारिक विधियाँ) इस अनुच्छेद में, स्थानीय स्वशासन की विधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें महिलाओं को समानता और सहभागिता के माध्यम से संगठित किया जाता है।
- अनुच्छेद 243D (3), 243T (3) और 243R (4) पंचायती राज प्रणाली में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है।
- ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा और समर्थन के लिए भारतीय संविधान में निहित हैं।

हिंदू कोड बिल: महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर

5 फरवरी 1951 को डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संसद में 'हिंदू कोड बिल' पेश किया. इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में बदलाव और हिंदू महिलाओं को सामाजिक शोषण से आजाद कराना और पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना था इस बिल में विवाह, विरासत, और तलाक के संबंध में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया गया था। तथा इसके माध्यम से, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की दिशा में समाज में अधिक सम्मान प्राप्त होने

का प्रयास किया गया था। यह बिल समाज में महिलाओं के प्रति अवगति और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता था।हिंदू कोड बिल' के जरिए बाबा साहब ने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया. इस बिल के मुख्यतया 4 अंग थे-

1. हिंदुओं में बहु विवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान, जो विधिसम्मत हो। 2. महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना। 3. पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना, हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे। 4. आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना। संसद में इस विधेयक को प्रस्तावित करते समय उन्होंने कहा था कि- "मैं इस सदन से केवल यही अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप हिंदू व्यवस्था, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है वहां मरम्मत कीजिए। इस विधेयक का उद्देश्य हिंदू धर्म के उन भागों की मरम्मत भर करना है जो टूट-फूट गए हैं।"

डॉ. आंबेडकर का मानना था 'सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा. उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे. महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार-समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा. शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी।'

हिंदू कोड बिल भारतीय संसद में पारित नही हो सका। इसके पश्चात कानून मंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपना स्तीफा दे दिया। बाबासाहब के इस्तीफा के बाद देश भर में हिंदू कोड बिल के पक्ष में बड़ी प्रतिक्रिया हुई।खास तौर से महिला संगठनों द्वारा। विदेशों में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई. कुछ साल बाद 1955-56 हिंदू कोड बिल के अधिकांश प्राविधानों को निम्न भागों में संसद ने पारित किया-

1. हिन्दू विवाह अधिनियम- 1955

2.हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम- 1956

3. हिन्दू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम- 1956

4. दत्तक और रखरखाव अधिनियम- 1956

भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत में महिलाओ के विरुद्ध मतभेदों को ख़त्म करने के लिए जो बिल लाये गए थे, जिन्हे भारतीय संसद द्वारा बाद में पारित किया गया वे इस प्रकार है

कानूनी व्यावसायिक महिला (निष्क्रियता) अधिनियम, 1923	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956,
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984
महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986	सती (रोकथाम) अधिनियम, 1987
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (नियमन और गर्भपात के दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000	मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013	मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017

डॉ अंबेडकर ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू कोड बिल को माध्यम बनाया और समानता तथा विकास के सभी द्वार खोल दिए। पुरुष शिक्षा की अपेक्षा वेमहिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए। उनका मानना था कि जब स्त्री शिक्षित होगी तभी वह अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास कर पाएगी तथा वह अपने अधिकार तथा कर्तव्य का बोध कर पाएगी तथा अपनी आने वाली पीढ़ी को उसके अधिकार तथा कर्तव्य का बोध करा पाएगी। अंबेडकर न केवल हिंदू समाज की दशा से दुखी थे अपितु मुस्लिम

समाज में व्याप्त बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा से भी आहत थे। वे इसे महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी मानते थे। पर्दा प्रथा पर वे कहा करते थे की- यद्यपि पर्दा हिंदुओं में भी होता है पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमान ने दे दिया है। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को समझने का प्रयास किया तथा व्यक्तिगत व संवैधानिक दोनों स्तर पर उसके समाधान का प्रयास किया। नारी कल्याण तथा उत्थान के लिए उन्होंने 1928 में मुंबई में महिला मंडल की स्थापना किया। जिसका अध्यक्षीय कार्य उनकी पत्नी रमाबाई देख रही थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा में भी महिलाओं की सक्रिय सहभागिता होने लगी। इससे महिलाओं में जागरूकता होने लगी। 30 नवंबर 1927 के मंदिर प्रवेश जुलूस में महिलाओं ने भाग लिया। 20 जुलाई 1942 को आयोजित अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन में 25000 महिलाओं ने भाग लिया। अंबेडकर के महिला जागृति कार्यक्रम के फल स्वरूप नारी नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ गई।

निष्कर्ष

डॉ. बी. आर. अंबेडकर के महिलाओं पर विचार उनकी समृद्धि और समाज में समानता के प्रति आवाज उठाते हैं। बाबा साहब सभी प्रकार के उत्पीड़नों और अन्यायों के खिलाफ एक विरोधात्मक प्रतीक के रूप में भारतीय महिलाओं के लिए एक सच्चे मार्ग-दर्शक हैडॉ. बी. आर. अंबेडकर ने एक नए सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी जो समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को देश के समूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए एक नई परंपरा लाई। वैश्वीकरण के इस युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा महिलाओं को जब एक वस्तु के रूप में परोसा जा रहा है तब महिलाओं के प्रति बाबा साहब के विचारो की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। उन्ही के विचारो से पोषित कई कानून आज महिलाओं के गरिमा की सुरक्षा कर रहे है। अंबेडकर ने महिला उत्थान का जो बिगुल बजाया उसका प्रतिफल आज सर्वत्र दृष्टिगत है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रो के साथ-साथ विज्ञान, सेना, प्रबंधन और व्यवस्थापन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को देखा जा सकता है। वे सभी क्षेत्रों में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। आज 21वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन का पक्षधर कोई भी व्यक्ति महिला संचेतना से इनकार नहीं कर सकता जिसका श्रेय डॉ. अम्बेडकर को है।

सन्दर्भ

- Bhat, R. M. (2023). Dr. Bhim Rao Ambedkar's Advocacy of Women Rights. MORFAI Journal, 2(4).
- Datta, R. (2019). Emancipating and Strengthening Indian Women: An Analysis of B. R. Ambedkar's Contribution. Contemporary Voice of Dalit, 11(1).
- Engineer, D. K., & Gayakwad, M. (2022). Women Empowerment and Gender Equality: Dr. B. R. Ambedkar. The International Journal of Multidisciplinary Research, 8(3),
- Kapoor, P. (2021). An Analytical Study on the Contribution of Dr. B. R. Ambedkar for Indian Women Empowerment. Elementary Education Online, 20(1), 3347-3353.
- Lakshmi, J. (2014). Relevance Of Ambedkar's Contributions In The Upliftment Of Modern Days Dalits And Women. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 19(2), 62-66.
- Selukar, S. M. (Year). Dr. Ambedkar's Vision of Social Justice (Particularly on Women Progress). Vitthalrao Patil Mahavidyalaya, Kale.
- Sharma, M. (2019). Ambedkar's Feminism: Debunking the Myths of Manu in a Quest for Gender Equality. Contemporary Voice of Dalit, 11(1).
- Ubale, M. B. (2016). Dr. Babasaheb Ambedkar's Approach to Women's Empowerment. International Education & Research Journal, 2(6).
- Usha, K. B. (2009). Dr. B.R. Ambedkar: The Champion of Women's Rights. Samyukta: A Journal of Gender & Culture, 2(a).
- Velaskar, P. (2012). Education for Liberation: Ambedkar's Thought and Dalit Women's Perspectives. Contemporary Education Dialogue, 9(2), 245–271.

- गुप्ता, स. (2023). लैंगिक समानता और भारतीय संविधान. iPleaders. https://hindi.ipleaders.in/gender-equality-and-indian-constitution/.
- सिंह, म. (2019). महिला आंदोलन और बाबा साहेब आंबेडकर की विचार दृष्टि. https://hindi.theprint.in/opinion/women-movement-and-baba-saheb-ambedkar-views-on-that/48725/.
- Singariya, M. R. (2014). Dr B. R. Ambedkar and women empowerment in India. ***Journal of Research in Humanities and Social Science***, ***2***(1), 1-4.
- Tyagi, M., Singh, L. K., & Basumatary, D. (2019). Role of Dr. B. R. Ambedkar in women liberation and empowerment. ***Think India Journal***, ***22***(14), 1182.